राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(70) ग्रावि / नरेगा / कन्वर्जेन्स–A.H. / 2014(पार्ट–1) / Eo-56419 जयपुर, दिनांकः 28 NOV 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य ''अपना खेत अपना काम'' के दिशा–निर्देश दिनांक 04.05.2011 के बिन्दु संख्या 1(ख)(ii), 6(iv) एवं परिशिष्ट–2 में संशोधन तथा अपना खेत अपना काम कार्यों हेतु नये आवेदन पत्र के प्रारूप बाबत।

प्रसंगः– समसंख्यक पत्र दिनांक 04.05.2011 एवं दिनांक 27.05.2011 ।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य ''अपना खेत अपना काम'' के दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। विभिन्न जन प्रतिनिधियों एवं जिलों से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त दिशा–निर्देशों के बिन्दु सं. 1(ख)(ii), 6(iv), परिशिष्ट–2 में संशोधन तथा ''अपना खेत अपना काम'' हेतु नये आवेदन–पत्र के प्रारूप की मांग की जा रही है।

''अपना खेत अपना काम'' दिशा–निर्देश दिनांक 04.05.2011 के बिन्दु सं. 1(ख)(ii), 6(iv), परिशिष्ट–2 के वर्तमान प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

बिन्दु सं.	वर्तमान प्रावधान	संशोधन
1.(ख)(ii)	ऐसे परिवार, जिनके कब्जे की भूमि की खातेदारी पैतृक नाम से है, के लाभार्थी द्वारा सादा कागज पर आवेदन–पत्र मय मूल खातेदार से उत्तराधिकारी सम्बन्ध का उल्लेख करते हुए शपथ–पत्र नोटरी से सत्यापित करवाकर अपने खाते की नवीनतम जमाबदी एवं नक्शा ट्रेस को संलग्न कर नियमानुसार योजनान्तर्गत लाभ ले सकेंगे।	उक्त प्रावधान में आवेदन पत्र मय मूल खातेदार से उत्तराधिकारी सम्बन्ध का उल्लेख शपथ–पत्र नोटरी से सत्यापित करवाने के स्थान पर स्वयं लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी कर सत्यापित करना तथा नक्शा ट्रेस की बाध्यता को हटा कर उसके स्थान पर नजरी नक्शा लगाया जाना।
6. (iv)	अपना खेत अपना काम के प्रत्येक कार्य में 60:40 का अनुपात सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	भारत सरकार द्वारा मास्टर सर्कुलर 2016–17 में किये गये संशोधनानुसार अपना खेत अपना काम के कार्यों में 60:40 का श्रम सामग्री अनुपात जिला स्तर पर संधारित किया जायेगा।
परिशिष्ट–2	व्यक्तिगत लाभ के कार्य ''अपना खेत अपना काम'' के तहत अनुमत सामग्री राशि से अधिक राशि के सम्बन्ध में लाभार्थी का सहमति–पत्र।	उक्त परिशिष्ट को विलोपित किया जाना।

साथ ही महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य ''अपना खेत अपना काम'' हेतु नये आवेदन–पत्र का प्रारूप परिशिष्ट ''अ'' पर तथा कार्यों की स्वीकृति हेतु चैक लिस्ट परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। प्रासंगिक आदेशों की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

25.11.16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, कृषि / ग्रावि एवं परावि / राजस्व विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि / कृषि एवं उद्यानिकी / राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास
6. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस
7. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग
8. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर।
9. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
10. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस